नोटिस नीलामी जनपद न्यायालय फतेहपुर

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026–27(01.04.2026 से 31.03.2027) के लिए **खान पान (कैण्टीन), साइकिल स्टैण्ड, व तम्बाकू रहित पान की दूकान** के ठेका की नीलामी उपरोक्त अवधि हेतु दीवानी न्यायालय परिसर में दिनांक **27.03.2026** को दिन में दोपहर **02.00 बजे से 04.00 बजे** के मध्य वित्तीय समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण की उपस्थिति में जनपद न्यायालय फतेहपुर के परिसर में की जायेगी जो लोग बोली में भाग लेना चाहे निर्धारित शर्तो की जानकारी हेतु निर्धारित समय के एक दिन पूर्व तक नजारत कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

1– नीलामी के समय बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व काशन मनी के रूप में वित्तीय समिति द्वारा निर्धारित धनराशि नगद जमा करनी होगी तथा बोली स्वीकार होने के पश्चात बोली का 25 प्रतिशत जमानत की धनराशि के रूप में नगद जमा किया जायेगा।

2– प्रत्येक त्रैमासिक अन्तराल पर अर्थात अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर व जनवरी के प्रथम सप्ताह में त्रैमासिक किश्त के रूप में जमा की जायेगी।

3– यह कि जिस व्यक्ति की नीलामी स्वीकृत होगी उसे सभी शर्तो के अनुरूप अनुबन्ध प्रपत्र व व्यक्तिगत बंधपत्र देने होगें जो जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर व ठेकेदार के मध्य होगें।

4– यह कि साइकिल स्टैण्ड के लिए स्थान निर्धारित है, इस हेतु मान्नीय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

5– यह कि जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर बिना कारण बताये अधिक बोली को स्वीकार न करने के अधिकारी होगें।

अध्यक्ष,
वित्तीय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जनपद न्यायालय, फतेहपुर।

नोटिस की प्रति निम्न को अपने अपने नोटिस बोर्ड आम जनता के सूचनार्थ चस्पा हेतु प्रेषित।

1. निबन्धक (कम्प्यूटर), माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को इस सूचना को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
2. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट, फतेहपुर।
3. नाजिर सदर विकास भवन, फतेहपुर।
4. नाजिर तहसील, फतेहपुर।
5. जिला सूचनाधिकारी, फतेहपुर।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर।
7. नोटिस बोर्ड जिला जज न्यायालय।
8. सम्पादक दोआबा वार्ता निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
9. सम्पादक न्यूजवाणी निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
10. सम्पादक दोआबा दर्शन निःशुल्क प्रकाश्न हेतु।
11. प्रभारी अधिकारी अमीन, फतेहपुर।
12. नोटिस बोर्ड नजारत चस्पा हेतु।
13. सार्वजनिक स्थलों पर सूचना पत्र चस्पा हेतु।
14. कम्प्यूटर अनुभाग इण्टरनेट पर विज्ञप्ति हेतु, फतेहपुर।

अध्यक्ष,
वित्तीय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जनपद न्यायालय, फतेहपुर।